भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3684
उत्तर देने की तारीख 23.03.2023

वर्कशेड योजना

3684. डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री जी. सेल्वमः
श्रीमती मंजुलता मंडलः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री धनुष एम. कुमारः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना के कार्यान्वयन के लक्ष्य, उद्देश्य और तरीके क्या हैं;

(ख) क्या सरकार वर्कशेड बनाने के लिए कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र में वर्कशेड योजना के अंतर्गत लाभान्वित खादी और अन्य कारीगरों की संख्या कितनी है;

(घ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना के तहत तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त करने वाले खादी कारीगरों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो किन राज्यों ने खादी उत्पादों की बिक्री में योगदान दिया है; और

(च) देश में खादी कारीगरों की आय में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम का लक्ष्य और उद्देश्य खादी कारीगरों को उनके कताई और बुनाई कार्यकलापों को कुशलतापूर्वक करने के लिए एक बेहतर कार्य स्थल प्रदान करना तथा कच्चे माल, औजारों, सामानों, अर्ध-निर्मित, निर्मित माल आदि के लिए भंडारण स्थल प्रदान करना है।

खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम हेतु पात्रता/तौर-तरीके निम्नानुसार हैं:

i. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)/ उनके विभागीय कार्यकलापों सहित राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) से संबद्ध खादी संस्थाओं (केआई) के साथ कार्य करने वाले कारीगर स्कीम के लिए पात्र होंगे। कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट (एडब्ल्यूएफटी), संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) प्रोत्साहन के अंतर्गत शामिल कारीगर पात्र हैं, जिन्होंने एक वर्ष में कम से कम 100 दिन कार्य किया है। गरीबी रेखा से नीचे वर्ग को वरीयता दी जाएगी।

ii. जमीन का हक कारीगर और या उसके पति/पत्नी के नाम पर होना चाहिए।

अथवा

किसी भी पैतृक/पारिवारिक संपत्ति पर वर्कशेड के निर्माण के लिए विचार किया जा सकता है, जिसके लिए कानूनी रूप से सहमति प्राप्त की गई है।

अथवा

राज्य सरकार/पंचायत आदि द्वारा कारीगरों को आबंटित की गई भूमि भी वर्कशेड के निर्माण के लिए पात्र होगी।

iii. खादी संस्थाओं की स्वामित्व वाली भूमि पर समूह वर्कशेड का निर्माण किया जा सकता है और इसे कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए कारीगरों को पट्टे पर दिया हुआ होना चाहिए।

iv. वे कारीगर, जिन्होंने पहले केवीआईसी/केंद्र/राज्य सरकार से सदृश लाभ प्राप्त किया है, पात्र नहीं होंगे। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त/नष्ट हो चुके वर्कशेड, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है, पर संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद स्कीम के लिए विचार किया जाएगा।

v. यदि निर्माण लागत में वृद्धि होती है तो लाभार्थी को उपलब्ध एडब्ल्यूएफ क्रेडिट से आहरण करके अतिरिक्त लागत वहन करने की आवश्यकता होती है। गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के मामले में, यदि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होती है तो प्रायोजक खादी संस्था कारीगरों से मांग किए बिना व्यवस्था करेगी।

(ख): जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से 'खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम' के अंतर्गत वर्कशेड का निर्माण करने के लिए कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए 1,20,000 रु. या लागत के 75% (पूर्वोत्तर क्षेत्र लिए 90%) और समूह वर्कशेड (न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 कारीगर) के लिए 80,000 रु. प्रति कारीगर या लागत के 75% (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90%), जो भी कम हो, तक की सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) एवं (घ): विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र में खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित खादी कारीगरों की संख्या और प्रदान की गई वित्तीय सहायता **अनुबंध** में दी गई है।

(ङ): जी, हां। खादी क्षेत्र में कुल बिक्री वर्ष 2019-20 में 4211.26 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 5051.72 करोड़ रू. हो गयी है। विगत तीन वर्षों के दौरान खादी की बिक्री में योगदान देने वाले पांच प्रमुख राज्यों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	**खादी क्षेत्र में कुल बिक्री**	**पाँच प्रमुख योगदानकर्ता राज्य**
2019-20	4211.26	उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु
2020-21	3527.72*	उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान
2021-22	5051.72	उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु

***** कोविड-19 महामारी के कारण बिक्री में कमी।

(च): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, केवीआईसी के माध्यम से खादी कारीगरों की आय में सुधार करने के लिए खादी विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जो निम्नानुसार हैं:

i. सूती, ऊनी, पॉलीवस्त्र की खादी संस्थाओं के मामले में, प्रोत्साहन के रूप में कारीगरों को संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) की 35% मात्रा प्रदान की जाती है और रेशम के लिए खादी संस्थाओं को प्रोत्साहन के रूप में एमएमडीए की 30% मात्रा प्रदान की जाती है।

ii. वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत सुचारू और थकान मुक्त कार्य परिवेश के लिए व्यक्तिगत के साथ-साथ समूह वर्कशेड के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, दिनांक 01.04.2023 से कारीगरों की कताई मजदूरी 7.50 रु. प्रति लच्छा से बढ़कर 10.00 रु. प्रति लच्छा हो जाएगी और सूती खादी, ऊनी खादी और पॉलीवस्त्र के लिए बुनाई मजदूरी में 10% तक वृद्धि होगी।

* * * * *

अनुबंध

दिनांक 23.03.2023 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3684 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र में खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित खादी कारीगरों की संख्या और प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

(प्रदान की गयी वित्तीय सहायता लाख रु. में)

वर्ष	तमिलनाडु		ओडिशा		महाराष्ट्र	
	लाभान्वित कारीगरों की संख्या	प्रदान की गई वित्तीय सहायता	लाभान्वित कारीगरों की संख्या	प्रदान की गई वित्तीय सहायता	लाभान्वित कारीगरों की संख्या	प्रदान की गई वित्तीय सहायता
2017-18	100	60.00	80	48.00	20	12.00
2018-19	120	44.00	0	0.00	25	15.00
2019-20	128	83.80	0	0.00	0	0.00
2020-21	75	22.50	0	0.00	20	6.00
2021-22	30	40.50	50.	30.00	0	0.00
2022-23 (दिनांक 16.03.2023 की स्थिति के अनुसार)	0	0.00	0	0.00	0	0.00